भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2799

उत्तर देने की तारीख 5 दिसम्बर, 2019

14 अग्रहायण, 1941 (शक)

राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011

2799. श्री एन. रेड्डप्पः

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसेः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता 2011 का उल्लंघन करने वाली खेल अकादमियों और संगठनों को निधि आवंटित नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार हेतु 2017 में विरचित प्रारूप राष्ट्रीय खेल संहिता पर भारतीय ओलंपिक संघ से फीडबैक मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसीआई) के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है । आंध्र प्रदेश में अकादमियों सहित अकादमियां और राज्य स्तर के खेल निकाय एनएसडीसीआई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं । राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत सहायता का पात्र होने के लिए सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को खेल विभाग में अपनी मान्यता को बनाए रखना आवश्यक है ।

(ग) सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप पर भारतीय ओलंपिक संघ और विभिन्न मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों से उनके हितधारक होने के कारण टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं । इसके फलस्वरूप हितधारकों से परामर्श करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ।

****